

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के कार्यान्वयन हेतु नियमों में संशोधन
01 जून, 2016 से प्रभावी

वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय ने हाल ही में प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के कार्यान्वयन में संशोधन की घोषणा की है। संशोधन निम्नानुसार हैं :

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

विद्यमान नियमों के अनुसार प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत यदि प्रीमियम 1 तारीख के पश्चात डेबिट हुआ है तो बीमा कवर प्रीमियम डेबिट होने वाले माह के अगले माह की 1 तारीख से शुरू होता है। लेकिन अब नए दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएसबीवाई के अंतर्गत प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तारीख से ही बीमा कवर प्रभावी होगा। तदनुसार, पीएमएसबीवाई के अंतर्गत सदस्य के पंजीयन की तारीख से किसी भी समय किए गए दावे अनुमत होंगे। **यह 1 जून, 2016 से लागू होगा**

31 मई 2016

Amendments in rules for implementation of PMSBY
With effect from 01st June, 2016

Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance has recently announced amendments in implementation of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) The amendments are as below:

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY):

As per the prevalent rules, insurance cover under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) starts from 1st of the month following the auto debit of the premium, in cases where auto debit takes place after 1st of the month. However, now as per the recent directives, insurance cover under PMSBY will become effective from the date of auto debit of premium. This shall come into force from 1st Jun 2016.

31st May, 2016